न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 61/2020

वादी

1. किशनाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 50 वर्ष जाति विश्नोई निवासी नेड़ीनाड़ी, पटवार क्षेत्र नेड़ीनाड़ी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोरधनराम पुत्र सुरजनराम उम्र 76 वर्ष
2. धर्माराम पुत्र गोरधनराम उम्र 45 वर्ष
3. धनाराम पुत्र गोरधनराम उम्र 40 वर्ष
4. सदराम पुत्र सुरजनराम उम्र 70 वर्ष
5. सुखराम पुत्र सुरजनराम उम्र 65 वर्ष सभी जातियान विश्नोई, निवासी नेड़ीनाड़ी, पटवार क्षेत्र नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
6. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
7. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर, राजस्थान।
8. उप पंजीयक धोरीमन्ना।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 40, 53, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू: 10/09/2020

अधिवक्ताः—

1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता वादी

—::निर्णय::—

दिनांकः 08/12/22

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 40, 53, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक व पुस्तैनी भूमि तहसील धोरीमन्ना पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी मौजा नेड़ीनाड़ी [illegible] खसरा नम्बर 43, 43/2, 43/3, 249, 346, 347, 391, 391/2 (कुल खसरा 08) रकबा क्रमशः [illegible]—00, 1—00, 0—05, 25—18, 0—06, 199—10, 69—00, 8—00 बीघा कुल रकबा 354—19 [illegible] किस्म बारानी सोयम व गैर मुमकिन ढाणी के आए हुए हैं। नकल जमाबंदी व [illegible] पेश है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 तक जाति से विश्नोई होने व हिन्दू होने [illegible] हिन्दू विधि से शासित है। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की वंशावली निम्न प्रकार से है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.20 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

08/12/22

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट के समय व उसके बाद वादी के दादाजी सुरजनराम पुत्र भींयाराम के नाम दर्ज हुई है, वादी के दादा सुरजनराम के फौत होने से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 गोरधनराम, उनके भाइयों सदराम व सुखराम के नाम से दर्ज हुई है, इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में है। उपरोक्त खसरे की भूमि पैतृक व पुस्तैनी (Ancentral land) एवं मिताक्षरा सहदायिकी (Mitakhara Coparcenary) भूमि होने से वादी का उक्त खसरों की भूमि में जन्म से (By birth) हक हिस्सा उत्पन्न हो गया है, इस कारण से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 के साथ पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी मौजा नेड़ीनाड़ी में खेत खसरा नम्बर नम्बर 43, 43/2, 43/3, 249, 346, 347, 391, 391/2 (कुल खसरा 08) रकबा क्रमशः 51–00, 1–00, 0–05, 25–18, 0–06, 199–10, 69–00, 8–00 बीघा कुल रकबा 354–19 बीघा किस्म बारानी सोयम व गैर मुमकिन ढाणी में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 का 1/3 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में होता है। वादग्रस्त भूमि पैतृक व पुस्तैनी है जो वादी के दादा सुरजनराम के नाम से थी, के बाद वादी के दादा फौत होने से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 गोरधनराम व उनके भाइयों सदराम व सुखराम के नाम दर्ज हुई थी, जो वर्तमान में प्रतिवादी 1 गोरधनराम, सदराम, सुखराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं उक्त खसरे की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमि है, इसलिए प्रत्येक सहदायिकी के सदस्यों का प्रत्येक इंच पर समान रूप से हक व हिस्सा होता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) कि भाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5(1) राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक व पुस्तैनी भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता में पैतृक सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार होता है। वर्तमान में भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से भूमि पर बैंक से लोन एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण का फायदा उठाते हैं भूमि का आपस में बाहमी बंटवारा किया गया है। बाहमी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्सों में खेती कार्य कर रहे हैं वादी के नाम से भूमि नहीं होने से कृषि विकास कार्य एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं प्रतिवादी संख्या 01 बैंक लोन आदि सरकारी फायदा अकेला उठा रहे हैं, तथा वर्तमान में भूमि की किमतों में वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 01 भूमि अजनबी क्रेताओं को बेचान के लिए आमादा है प्रतिवादीगण सभी मिलकर वादी को उपरोक्त खसरों की भूमि का बिना बंटवारा व घोषणा करवाए एवं बिना वादी की सहमति के जबरन बेदखल कर कब्जा करने राजस्व रिकॉर्ड व मैके की स्थिति में परिवर्तन करने की लगातार धमकियां दे रहे हैं और प्रतिवादीगण सभी मिले हुए हैं और वादी को अपने हिस्से की भूमि से वंचित रखना चाहते हैं आज से करीबन 10 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अजनबी क्रेता को बेचान करने की धमकियां दे रहे हैं, तथा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 द्वारा बार–बार वादी का रास्त बन्द कर देते हैं सड़क से घर तक आने–जाने नहीं दे रहे हैं सड़क से कोई भी साधन घर तक नहीं आने दे रहे हैं। वादी मनाने पर व गांव के मुख्यान् से कहलवाने पर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं, इसलिए वादी को यह वाद घोषणा का पेश करना लाजमी हो गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य विवादित आराजी का न तो विधि[illegible] हुआ है किन्तु अरसा 10 रोज पूर्व से प्रतिवादी संख्या 01 से 05 वादी के कब्जे काश्त में [illegible] रूप से हस्तक्षेप कर वादग्रस्त भूमि अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने [illegible] वादी विवादित आराजी का बंटवाड़ा भूमि की उपजाऊपन, धोरा, [illegible] सीमा की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए भूमि का बराबर बंटवाड़ा करवाकर अपने–अपने [illegible] की भूमि शेष भूमि से बंटवाड़ा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अलग करवाने के अधिकारी हैं साथ ही वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 से 04 का 2/3 हिस्सा अनुसार लगान का बंटवाड़ा करवाकर अलग [illegible] चाहते हैं। जिसकी पूर्ति के लिए यह वाद वास्ते बंटवाड़े का श्रीमानजी के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी मौजा नेड़ीनाड़ी में खेत

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

08/12/22
सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.20 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 43, 43/2, 43/3, 249, 346, 347, 391, 391/2 (कुल खसरा 08) रकबा क्रमशः 51–00, 1–00, 0–05, 25–18, 0–06, 199–10, 69–00, 8–00 बीघा कुल रकबा 354–19 बीघा किस्म बारानी सोयम व गैर मुमकिन ढाणी में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 का 1/3 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में घोषित व बंटवारा करवाने का अधिकारी है। इसके साथ ही वादी अपने पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं कि पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी मौजा नेड़ीनाड़ी में खेत खसरा नम्बर 43, 43/2, 43/3, 249, 346, 347, 391, 391/2 (कुल खसरा 08) रकबा क्रमशः 51–00, 1–00, 0–05, 25–18, 0–06, 199–10, 69–00, 8–00 बीघा कुल रकबा 354–19 बीघा किस्म बारानी सोयम व गैर मुमकिन ढाणी की भूमि में वादी के उपरोक्त वर्णित हिस्सों में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे और न ही वादी के हिससे पर जबरन कब्जा करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। बिनायदवा बमुकाम तहसील धोरीमन्ना पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी राजस्व ग्राम नेड़ीनाड़ी में जब वादग्रस्त पैतृक व पुस्तैनी भूमि में वादीगण का जन्म हुआ तब व आज दस रोज पूर्व कृषि कार्य विकास हेतु रुपए मांगने गए तब प्रतिवादी संख्या 01 ने बेदखल करने की धमकियां दी, सड़क से घर तक आने–जाने का रास्ता बन्द किया तब व भूमि को अजनबी क्रेता को बेचान/हस्तांतरण करने की धमकी दी तब–तब ऊपर बयान किए मुजब वाद कारण पैदा हुआ। भूमिपति तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जिससे कोई इस्तदुआ नहीं चाहने से उन्हें धारा 80 सीपीसी को नोटिस नहीं दिया गया है। भूमि बैंक में रहन होने से बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया है। बिना हिस्से खुले बेचान नहीं करने हेतु उप पंजीयक धोरीमन्ना को पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त कृषि भूमि तहसील धोरीमन्ना पटवार क्षेत्र नेड़ीनाड़ी ग्राम नेड़ीनाड़ी में स्थिति होने व वाद कारण उपरोक्त ग्राम में उत्पन्न होने से यह वाद माननीय न्यायालय के आर्थिक व स्थानीय क्षेत्राधिकार का है एवं वाद अन्दर म्याद पेश है। वाद अंतर्गत धारा 88, 40, 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस पर निर्धारित न्यायशुल्क के रूप में रुपए 6/– मुद्रांक साथ पेश है। वादी की इस्तदुआ है कि निम्नांकित डिक्री बहक प्रतिवादीगण के विरुद्ध सादिर फरमाई जावे। (क) पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी मौजा नेड़ीनाड़ी में खेत खसरा नम्बर 43, 43/2, 43/3, 249, 346, 347, 391, 391/2 (कुल खसरा 08) रकबा क्रमशः 51–00, 1–00, 0–05, 25–18, 0–06, 199–10, 69–00, 8–00 बीघा कुल रकबा 354–19 बीघा किस्म बारानी सोयम व गैर मुमकिन ढाणी में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 का 1/3 हिस्सा में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा की खातेदारी घोषित किया जावे। (ख) बाद घोषणा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 व 05 का 2/3 हिस्सा की भूमि उपजाऊपन, धोरा, समतल/डेरी, दूसरे गांव की सीमा पर ऑवललेप, सड़क पर समान भाग, आने–जाने रास्ते की सुविधा की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए भूमि का बराबर बंटवारा अलग कर अलग खाता कायम किया जावें ताकि भूमि समान रूप से, समान पैदावार से, आने–जाने की सुविधा, धोरा–समतल एक समान हो जाएं। (ग) वादी का हिस्सा घोषित बंटवारा होने के बाद स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाए। (घ) वाद का खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। (ड़) अन्य सहायता जो वादी की जांच से वादी के पक्ष में प्रमाणित हो प्रतिवादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी के तहत वादीगण इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनता हो कार्यवाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजि. किया गया, प्रतिवादीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया, बावजूद सम्यक् तामील के प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई, लिहाजा प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया। साक्ष्य वादी के दौरान साक्ष्य शपथ पत्र पी डब्ल्यू. 1 पेश किया तथा वादी के बयान कलमबद्ध किए गए तथा आवश्यक दस्तावेजात यथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.20 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

08/12/22
सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 प्रदर्श–03, खतौनी बंदोबस्त 2012 से 2031 प्रदर्श–04, जमाबंदी संवत् 2073–76 प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेश प्रदर्श–02, वादी का आधार कार्ड प्रदर्श–5ए किए गए। अधिवक्ता वादी द्वारा पत्रावली पर और साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन करने पर साक्ष्य वादी को पत्रावली पर बंद किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–01 ता 06 के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है, लिहाजा साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली को न रखकर सीधे बहस में रखा गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में बंटवारा के वाद को विड्रो करना चाहते हैं, लिहाजा हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए धारा–53 बंटवारा की हद तक हस्तगत वाद को विड्रो करना उचित समझा।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया। हमने वादपत्र, साक्ष्य शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया, वादपत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 गोरधनराम का पुत्र है तथा वादी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्य अनुतोष चाहा है, हमने प्रदर्श–03 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012–31, मौजा धोरीमन्ना तहसील बाड़मेर, के खाता संख्या 216 का अध्ययन किया, प्रदर्श–03 के अध्ययन से स्पष्ट है कि खाता सं. 216 के खसरा सं. 249 रकबा 25–18 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं. 347 रकबा 199–10 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं. 346 रकबा 0–06 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी का खातेदार सुरजन वल्द भींया कौम विश्नोई दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हमने प्रदर्श–04 खतौनी बंदोवस्त संवत् 2012–31 राजस्व मौजा धोरीमन्ना, तहसील बाड़मेर के खाता सं. 217 का अध्ययन किया, उक्त प्रदर्श–04 के अध्ययन से स्पष्ट है कि खाता सं. 217 के खसरा सं. 43 रकबा 62–05 बीघा किस्म बारानी सोयम एवं खसरा सं. 391 रकबा 84–00 बीघा किस्म बारानी सोयम का खातेदार सुरजन वल्द भींया कौम विश्नोई दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। शपथ पत्र के माध्यम से वादपत्र के पैरा सं. 2 के सजरा खानदान के अनुसार सुरजनराम पुत्र भींयाराम के 3 पुत्र गोरधनराम, सदराम, सुखराम हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 गोरधनराम के 3 पुत्र किसनाराम, धर्माराम, धनाराम हैं, सजरा खानदान के अनुसार वादी के पिता गोरधनराम का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा होना चाहिए। हमने प्रदर्श–01 जमाबंदी संवत् 2073–76 मौजा नेड़ीनाड़ी पटवार हल्का नेड़ीनाड़ी के खाता सं. 8 का अध्ययन किया, उक्त प्रदर्श–01 के अध्ययन से स्पष्ट है कि खाता सं. 8 के खसरा सं. क्रमशः 43, 43/2, 43/3, 249, 346, 347, 391, 391/2 रकबा क्रमशः 51–00, 1–00, 0–05, 25–18, 0–06, 199–10, 69–00, 8–00 बीघा आराजी के खातेदार गोरधन, सदराम, सुखराम पि. सुरजन कौम विश्नोई दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता गोरधनराम का 1/3 हिस्सा है। प्रदर्श–01, प्रदर्श–03 एवं प्रदर्श–04 के अध्ययन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 01 गोरधनराम की पैतृक–पुश्तैनी है तथा वादी द्वारा अपने पिता की पैतृक पुश्तैनी आराजी में से खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। राजस्व (ग्रुप–06) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.5(1) राज–6/97/10 दिनांक 08.09.1997 एवं राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.–5(1)राज–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के अनुसार पिता की पैतृक भूमि/संपत्ति पर पुत्र/पुत्री दोनों का जन्म से ही अधिकार होते हैं। राजस्व विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सह–खातेदार हैं, चाहे राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो एवं पैतृक भूमि के संबंध में पुत्र/पुत्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.20 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह अभिमत है कि पैतृक वादग्रस्त आराजी में वादी, अपने पिता (प्रतिवादी सं. 01) की पैतृक आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। अर्थात् वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 01 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में वादी का 1/4 हिस्सा है अर्थात् वादी किशनाराम पुत्र गोरधनराम का अपने पिता प्रतिवादी सं. 01 गोरधनराम पुत्र सुरजन के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में 1/4 हिस्सा अर्थात् 1/12 हिस्सा घोषित करना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

8/12/22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद, वादी अंतर्गत धारा 88, 40, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजाः—नेड़ीनाड़ी पटवार हल्का नेड़ीनाड़ी, तहसील— धोरीमन्ना के खसरा सं. 43 रकबा 51—00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं. 43/2 रकबा 01—00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं. 43/2 रकबा 0—05 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं. 249 रकबा 25—18 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं. 346 रकबा 0—06 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा सं. 347 रकबा 199—10 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं. 391 रकबा 69—00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा सं. 391/2 रकबा 8—00 बीघा किस्म बारानी सोयम में प्रतिवादी सं. 01 गोरधन पुत्र सुरजन के 1/3 हिस्से में वादी किशनाराम को 1/4 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है। अर्थात् उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 01 गोरधन पुत्र सुरजन के 1/3 हिस्से में वादी किशनाराम को 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है अर्थात् वादग्रस्त आराजी में गोरधन पुत्र सुरजन के 1/3 हिस्से के स्थान पर किशनाराम पुत्र गोरधन का 1/12 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं तथा शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 गोरधन पुत्र सुरजन के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड बदस्तूर रहे। तहसीलदार, धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि भू—अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक् से जारी होकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

08/12/22

(लाखराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला—बाड़मेर)

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक—08/12/2022 को सर—ए—इजलास में सुनाया गया।

08/12/22

(लाखराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला—बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2023.02.20 14:24:23 IST
Reason: SelfAttested